ई–मेल / प्राथमिकता

संख्या–439 / आठ–2–2023–3एच0बी0(14) / 2010

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2–अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 — लखनऊः दिनांक 28 फरवरी, 2023

विषय– विधान सभा एवं विधान परिषद के प्रश्नों, नियमों पर सूचना / आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा विधान सभा एवं विधान परिषद के प्रश्नों का उत्तर एवं विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सूचना / आख्या बिना सक्षम स्तर के अधिकारियों द्वारा ही शासन को प्रेषित किया जा रहा है, जो उचित नहीं है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल के प्रश्नों, नियमों के उत्तर / आख्या / सूचना विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अध्यक्षों द्वारा ही शासन को प्रेषित किया जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही उपाध्यक्ष / अध्यक्ष की अनुपलब्धता में ही संबंधित विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र के सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा ही सूचना / आख्या प्रेषित की जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
28/2/23
(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
(2) निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
(3) समस्त उप सचिव / अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
(4) समस्त अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
(5) निदेशक आवास बन्धु, लखनऊ।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शीतला प्रसाद)
अनु सचिव।

Satra-16 HP(305)